न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1580/2026

1–नर बहादुर आयु करीब 71 साल पुत्र शीतलाबक्श सिंह,
2–विपीन्दे उर्फ बीरेन्द्र उर्फ सतीश आयु करीब 46 साल पुत्र नर बहादुर,
समस्त निवासी ग्राम डीहा थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–34/2009
धारा– 364 भा0दं0सं0
थाना–दरियाबाद,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	**श्री अखण्ड प्रताप सिंह**
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0)बाराबंकी ।**
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	**04.06.2026**
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	**09.06.2026**

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा मोतीलाल का लड़का हीरालाल दरियाबाद बैंक गया था, बैंक में बाबादीन से दिनांक 06.02.2009 को विवाद हो गया। जब वादी का पुत्र नहीं आया तो तलाश करने निकला तो विपक्षी रामअचल उर्फ झब्बर, अमर बहादुर, बिपिन्दे व श्रीकांत पंडित आदि एक मारूति वैन में बैठे थे। उसे शक है कि विपक्षीगण ने उसके पुत्र को मारकर गायब कर दिया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने पुत्री को कथित मारूति वैन में नहीं देखा गया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में

पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर वादी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया जिसके आधार पर मामला परिवाद में संस्थित कर, परिवादी व उसके साक्षियों का साक्ष्य संकंलित कर, विपक्षीगण रामअचल उर्फ झब्बर, नरबहादुर, बीरेन्द्र, बाबादीन, रमेश व श्रीकांत पान्डेय को दिनांक 29.03.2013 को धारा 364 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया गया। उक्त तलबी आदेश के विरूद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण 123/2013 अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसे सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुये, पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया परन्तु अभियुक्तगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र का व्यपहरण हत्या कारित करने के आशय से किया गया है। तलबी के विन्दु पर पर्याप्त साक्ष्य परिवादी की ओर से उपलब्ध कराया गया है। अभियुक्तगण जानबूझकर विचारण को बाधित कर रहे हैं तथा विचारण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रकरण वर्ष 2009 से सम्बन्धित है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध तलबी ओदश वर्ष 2013 में पारित किया गया है। अभियुक्तगण के कृत्य से वादी न्याय से वंचित हो जायेगा। अपराध गम्भीर है और दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। सह अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जहां पर अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है वहां पर न्यायालय को ऐसे प्रार्थनापत्र पर सुनवायी के समय अपराध की गम्भीरता एवं अपराध कारित किये जाने की प्रकृति के साथ साथ इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिये कि क्या वादी द्वारा अभियुक्त को झूठे मुकदमें में नामित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है या नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टर ऑफ इमफोर्समेन्ट ए0आई0आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 4198** में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत मात्र विरलतम परिस्थितियों में ही स्वीकार की जा सकती है।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को वादी द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था तथा मामले में विवेचनोपरांत अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर, अन्तिम रिपोर्ट को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर धारा 364 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से तलबी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण दाखिल किया गया जो निरस्त हुआ। इसके उपरांत से अभियुक्तगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध हत्या के आशय से व्यपहरण किये जाने से सम्बन्धित है।

आवेदक/अभियुक्त को झूठा नामित किये जाने के सम्बन्ध में कोई युक्ति–युक्त कारण जमानत प्रार्थनापत्र में नहीं दर्शित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर किस्म का है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता व समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नर बहादुर व बिपीन्दे उर्फ बीरेन्द्र उर्फ सतीश उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–09.06..2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899